प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.06.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर हत्या के अभियोग का वांछित द्वारा आलाकत्ल बरादमगी के दौरान आलाकत्ल नाजायज पिस्टल से पुलिस पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने की घटना कारित करने वाला अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल 7.56 बोर व 04 खोका कारतूस बरामद

आज दिनांक 19.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर अपहरण कर अंकुर नाम के व्यक्ति की हत्या करने के अभियोग मे वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना लोनी पुलिस द्वारा चिरौडी से खडखडी अंडर पास को जाने वाले मार्ग पर वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान एक व्यक्ति जो चिरौडी से खडखडी अंडर पास की ओर आता दिखाई दिया। जिसको पुलिस द्वारा रुकने का प्रयास किया गया जो पुलिस को देखकर कर पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगा जिस पार्टी द्वारा मौके से पकड लिया जिससे मुकदमा उपरोक्त की घटना मे पूछताछ कर मुकदमा से सम्बधित घटना के प्रयुक्त पिस्टल व शव की बरामदगी के हेतु उसकी निशादेही जावली की ओर नहर पर पुलिस टीम द्वारा ले जाया गया अभि0 द्वारा अपनी निशादेही से मौका पाकर पुलिस द्वारा पकडे जाने पर भागने का प्रयास करते हुए आलाकत्ल पिस्टल से पुलिस पार्टी पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग मे उक्त अभियुक्त के पैर मे गोली लगने से घायल हो गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल .7.56 बोर व 04 खोका कारतूस बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मृंतक अंकुर पुत्र रमेश नि0- ग्राम गनौली थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद का मेरी बहन के साथ प्रेम सम्बंध थे जिसके बारे में मैने अंकुर को कई बार टोका था, लेकिन वह नही माना तब मैने तय कर लिया कि अंकुर को रास्ते से हटाना है और अपने साथी सोनू पुत्र रामी गाँव भगौट थाना खेकडा जिला बागपत व सौरभ पुत्र बेगन उर्फ बेगनाथ नि0- गनौली थाना लोनी गाजियाबाद से बात करके अंकुर को जान से मारने का प्लान कर लिये हम लोग अंकुर को अकेला मिलने का मौका ढूंढ रहे थे कि दिनांक 07.06.2025 को अंकुर व अमन दोनो पहलवान होटल से खाना खाकर निकले तो हम लोग उसका पीछा किये तथा सौरभ को गनौली मोड पर उतार दिया योजना के अनुसार सौरभ ने अंकुर की स्कूटी पर बैठ गया था ट्रैक्टर खराब होने का बहाना बनाकर मेवला भट्टी की तरफ छोड देने को कहां जैसे ही अंकुर व सौरभ मेवला भट्टी की तरफ गये तब मै व सोनू कार से उनका पीछा कर रहे थे ,मेवला भट्टी नहर के पास हमने स्कूटी के आगे कार लगा दी अंकुर ने जैसे ही स्कूटी रोकी तभी स्कूटी पर पीछे बैठे सौरभ ने अंकुर को पीछे से पकड लिया, सौरभ व सोनू ने मिलकर अंकुर को कार में डाल दिये, अंकुर की स्कूटी को नहर के किनारे झाडियो में डाल दिया, कार को मै स्वयं चला रहा था, पीछे की सीट पर सौरभ व सोनू अंकुर को पकड कर बैठे थे, सुनसान जगह जावली के पास नहर के किनारे कार को खडी कर दिया, सोनू व सौरभ ने अंकुर को कार से बाहर निकाला तब मैने अपने पास मौजूद देशी पिस्टल से अंकुर को जान से मारने की नियत से 4-5 राउड फायर किया जो अंकुर के सिर, सीना व हाथ में लगा, अंकुर के मर जाने पर एक प्लास्टिक के कट्टे को कार में बिछाया तथा हम लोगो ने मिलकर अंकुर की बॉडी को कार की पिछली सीट पर रखकर चल दिये वही पर पिस्टल को फेंक दिया था, अंकुर की बॉडी को गढी कलंजरी मे हिण्डन नदी पर बने पुल से

फेंक दिया था, वहां से 1-1.5 किमी दूर चलने पर एक नल मिला जहां पर हम लोगो ने हाथ व कपडे पर लगे खून को धुला तथा कार को भी धुला, फिर वहां से जहां पर अंकुर की स्कूटी को झाडियो में गिराये थे, वहां पर आये और उसी स्कूटी का पैट्रोल निकालकर स्कूटी पर छिडककर जला दिये, उसी आग में सोनू ने अपना टी शर्ट जिस पर खून लगा था, जला दिया था. रात भर हम लोग इधर उधर घूमते रहे सुबह 4 बजे के आस पास उसी स्कूटी के पास गये थे, तथा जली हुयी स्कूटी को उठाकर करीब 50 मीटर दूर झाडियो में फेंक दिये थे, फिर आकर हम रोज की भांति रहने लगे तथा मै स्वयं अंकुर की बॉडी पर नजर रखता था कि कही बॉडी पानी के उपर न आ जाये। सौरभ व सोनू को मैने कहा था कि अँकुर की स्कूटी को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर कही दूर फेंक देना, जली हुयी स्कूटी सोनू व सौरभ कहां फेंके है वही बता सकते है। मै दिल्ली भाग रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया जिस पिस्टल से मैने अंकुर को गोली मारी थी ये वही है। अभि0 को आलाकत्ल पिस्टल के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण

1-एक अदद देसी पिस्टल .7.56 बोर व 04 खोका कारतूस बरामद,

अभि0 का नाम पता ---

1. सैंकी उर्फ शिवम पुत्र विनोद निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गा0बाद उम्र 23 वर्ष,

अभि0 का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 282/25 धारा 140(3)/103(1)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम,

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना लोनी गा0बाद

थाना कविनगर पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में 16.06.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत 08 लाख 15 हजार रूपयों की लूट कारित करने वाले 03 अभियुक्त मुठभेड के दौरान गिरफ्तार। कब्जे से 4,30,000/- रूपये,03 तमन्चे (315 बोर) व एक बाइक बरामद

आज दिनांक 19.06.2025 को थाना कविनगर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 16.06.2025 को 08 लाख 15 हजार रूपयों की लूट कारित करने वाले अभियुक्त क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जगह-जगह पर चेकिंग करायी जा रही थी। सिकरोड़ रोड़ पर चेकिंग के दौरान दो बाइको पर कुछ व्यक्ति जिनमें एक बाइक 02 व्यक्ति सवार थे तथा दूसरी बाइक पर 03 व्यक्ति सवार थे। इनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो एक बाइक पर सवार 02 व्यक्ति मौके से फरार हो गये तथा दूसरी बाइक पर सवार 03 व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। आगे उनकी बाइक गिर गई इसी दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर दौबारा फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें 03 व्यक्ति सूरज, नितिन तथा मनीष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में सूरज तथा नितिन के पैर में गोली लगी है जिनको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा मौके से 4,30,000/- रूपये,03 तमन्चे (315 बोर) व एक बाइक बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इस घटना में पीड़ित अमित भी योजना में शामिल था तथा इसके अलावा 02 अन्य व्यक्ति अंकुश और बृजेश भी शामिल थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा चैकिंग की जा रही है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1- सूरज यादव पुत्र अशोक यादव निवासी मकान नंबर 6 शंकर विहार कॉलोनी मानसरोवर लाल कुआं थाना वेव सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बलवाड़ा थाना बलवाड़ा जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (गिरफ्तार बाद पुलिस मुठभेड़)

2- नितिन कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी छोटा मोहल्ला ग्राम खेड़ा थाना पिलखवा जनपद हापुड़ उम्र करीब 20 वर्ष (गिरफ्तार बाद पुलिस मुठभेड़)

3- मनीष पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी लाल कुआं थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रसीदाबाद थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 30 वर्ष (गिरफ्तार)।

बरामदगी का विवरण

03 तमंचा, 04 जिंदा कारतूस, 03 खोका कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व दिनांक 16/06/2025 को हुई लूट की घटना में लुटे हुए 4,30,000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज यादव के विरुद्ध 01 अभियोग, नितिन कुमार के विरुद्ध 01अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा 16.06.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत 08 लाख 15 हजार रूपयों की लूट की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त मुठभेड के दौरान गिरफ्तार। कब्जे से 1,00,000/- रूपये, 02 तमन्चे (315 बोर) व एक बाइक बरामद।

आज दिनांक 19.06.2025 को थाना मधुबन बापुधाम क्षेत्रान्तर्गत बुनकर मार्ट चौराहे के पास जब पुलिस टीम द्वारा चैकिंग की जा रही थी तभी एक बाइक पर 02 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। इनको पुलिस टीम द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा वापस भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। भागते समय वह गिर गये तथा उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों व्यक्ति घायल हो गये। जिनको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपने नाम अंकुश तथा बृजेश बताया गया तथा इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.06.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना में वे संलिप्त थे। तथा इनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके साथ नितिन नामक व्यक्ति एवं अमित मुनीम, सूरज एवं मनीष भी शामिल थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 1,00,000/- रूपये, 01 मोबाइल वीवो (कीमत करीब 32,000/- रूपये), 02 तमन्चे (315 बोर), जिन्दा व खोका कारतूस तथा 01 बाइक बरामद की गई है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. बृजेश पुत्र राजकुमार निवासी छोटा मोहल्ला ग्राम खेड़ा थाना पिलुखवा हापुड़ उम्र 28 वर्ष
2. अंकुश उर्फ काले पुत्र कमल निवासी ग्राम कुलहरिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

•1,00,000/- रूपये

•02 तमन्चे (315 बोर), जिन्दा व खोका कारतूस

•01 मोबाइल वीवो (कीमत करीब 32,000/-)

•एक बाइक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक लुटेरा बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार।

दिनांक 20.06.2025 को थाना कविनगर पुलिस टीम व पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान व तलाश वांछित अभियुक्त के अंतर्गत टीम के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास चेकिंग के दौरान दो बदमाश घायल अवस्था में एवं एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था दोनों घायलों को पूर्व में ही उपचार हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर भेजा गया था। शेष अभियुक्त को साथ लेकर अन्य कार्यवाही करते हुए जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर लेकर जाया जा रहा था बीच में सरकारी गाड़ी बंद हो जाने के कारण अभियुक्त द्वारा मौका पाकर मुख्य आरक्षी की पिस्तौल छीन कर जान से मारने की नीयत से फायर किया जोकि सरकारी गाड़ी की खिड़की मैं जाकर लगी। जिससे पुलिस टीम अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। जिससे बदमाश घायल हो गये । जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मनीष पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी लाल कुआं थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रसीदाबाद थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 30 वर्ष (बाद मुठभेड़ गिरफ्तार)।

बरामदगी का विवरण

01 सरकारी पिस्टल 9MM एक खोका कारतूस व 09 जिन्दा कारतूस 9MM।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे दो पहिया वाहन चेंकिग अभियान के अन्तर्गत " यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन/चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही ।

दिनांक 19.06.2025 को ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे दो पहिया वाहन अभियान**

के अन्तर्गत " बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा से आने वाले वाहन/चालकों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा 42 स्थानों पर चेकिंग कर 3988 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 1993 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	इन्दिरापुरम	816	314
2	खोडा	955	501
3	कौशाम्बी	630	314
4	साहिबाबाद	755	403
5	लिंक रोड	145	95
6	शालीमार गार्डन	410	205
7	टीला मोड	277	161
	कुल योग	**3988**	**1993**

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 19.06.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 18/19.06.2025 की रात्रि में विपक्षी गौरव अम्बावत पुत्र भिखारी निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद, मोन्टू, सचिन व गोलू द्वारा मेरे घर पर आकर मेरे बेटे को गाली देते हुए जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायरिंग की गयी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 109/352/351(2)/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20-06-2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित मुख्य अभियुक्त आशीष बंसल उर्फ गोलू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी म0न0 388 गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को उपरोक्त घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस के साथ धर्मवीर ठेके के सामने वाले ग्राउन्ड थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अवैध पिस्टल व कारतूस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आशीष बंसल उर्फ गोलू ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा वादी के लडके नितेश उर्फ नित्ते के साथ शराब पीने को लेकर पिछले साल नवम्बर में झगडा हुआ था, जिसे आपस में कह सुन कर सुलझा लिया गया था। परन्तु इसी बात की रंजिश को लेकर हम लोगों की कई बार वादी के लडके के साथ फोन पर कहासुनी भी हुई थी। दिनांक 18.06.2025 को भी दिन में हमने वादी के लडके को मिलने के लिए भी बुलाया था और जब वह रात तक मिलने नही आया तो मै अपने साथियों के साथ वादी के घर पर गया था और वहाँ पर मैने ही इसी पिस्टल से वादी के घर पर फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

आशीष बंसल उर्फ गोलू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी म0न0 388 गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

वांछित अपराधी का विवरण-

1. गौरव अम्बावत पुत्र भिखारी निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद
2. मोन्टू निवासी ग्राम निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद
3. सचिन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 19.06.2025 को वादी श्री हिमांशु पुत्र श्री खेमचन्द निवासी म0नं0-317, गली नं0-02, दीनदयालपुरी, नन्दग्राम, गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी गयी कि दिनांक 18.06.2025 को शाम के समय किसी अज्ञात चोर द्वारा गंग नहर पर वादी के नहाते समय वादी के बैग से 01 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अन्तर्गत धारा-303(2) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 20-06-2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा निरीक्षण घटना स्थल एवं आस-पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मैनुअल इनपुट आदि अथक प्रयासों से घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त मनीष पुत्र गोपाल नि0 राजीव कालोनी मोहन नगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर गंगनहर घाट से थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त मनीष उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि दो दिन पहले मैंने गंगनगर घाट से एक बैग की चैन खोलकर बैग में से 01 मोबाइल फोन चोरी किया था। उसी चोरी के मोबाइल फोन को मैं बेचने की फिराक में लगा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

मनीष पुत्र गोपाल नि0 राजीव कालोनी मोहन नगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व आबकारी टीम गाजियाबाद द्वारा 360 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम व आबकारी टीम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19.06.2025 को दौराने चैकिंग ग्राम पंचायत नबादा स्थित हर्ष विहार कालोनी में एक खाली प्लाट में से 360 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ एक अभियुक्त रामू पुत्र राधाकृष्ण निवासी गलराई थाना पसगवा जनपद लखीमपुर खीरी उम्र लगभग 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि प्रदीप बंसल निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी का हरियाणा मार्का की शराब का हर्ष विहार कालोनी में एक गोदाम है व प्रदीप बंसल मुझसे हरियाणा मार्का की शराब की बिक्री बोरी में देकर करवाता है। गोदाम की चाभी मेरे पास रहती है, मै गोदाम में से शराब के पव्वे निकालकर बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रामू पुत्र राधाकृष्ण निवासी गलराई थाना पसगवा जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र लगभग 48 वर्ष

वांछित अभियुक्त-

प्रदीप बंसल निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी

बरामदगी का विवरण-

अवैध 360 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व आबकारी टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अपहरण व हत्या कर शव को छिपाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट व मृतक की स्कूटी बरामद।

दिनांक 13.06.2025 को वादी श्री गोपाल पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी के भाई अंकुर का अभियुक्तगण द्वारा अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना लोनी पर तहरीर दी गयी जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 282/25 धारा 140(3) BNS पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अपहृत अंकुर का शव दिनांक 19.06.2025 को बरामद किया तथा पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त सैकी उर्फ शिवम पैर में गोली लगने से घायल हुआ जिसको गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशादेही से एक अदद नाजायज आलाकत्ल पिस्टल व 04 अदद खोखा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 9 एमएम घटना स्थल से बरामद की

गयी तथा अभियोग में धारा 140(3) बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा- 140/103(1)/238/3(5)/109 बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम में तरमीम किया गया। दौराने विवेचना दिनांक 19.06.2025 को ही उपरोक्त अभियोग नामित अभियुक्त सौरभ पुत्र बेगन उर्फ बेगनाथ निवासी गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को चैकिग के दौरान बंथला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट व मृतक अंकुर की स्कूटी बरामद की गयी है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण ---

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मृतक अंकुर पुत्र रमेश नि0- ग्राम गनौली थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद का मेरे दोस्त सेंकी उर्फ शिवम पुत्र विनोद निवासी ग्राम गलौनी थाना लोनी गाजियाबाद की बहन के साथ प्रेम सम्बंध था जिसके बारे में सेंकी ने मुझे बताया था कि अंकुर को कई बार टोका था, लेकिन वह नही माना तब सेंकी ने तय कर लिया था कि अंकुर को रास्ते से हटाना है और यह बात मुझे और सोनू पुत्र रामी गाँव भगौट थाना खेकडा जिला बागपत को बताई थी और सेंकी ने मुझसे व सोनू से बात करके अंकुर को जान से मारने का प्लान कर लिया। हम लोग अंकुर को अकेला मिलने का मौका ढूंढ रहे थे कि दिनांक 07.06.2025 को अंकुर व अमन दोनों पहलवान होटल से खाना खाकर निकले तो हम लोग उसका पीछा किये तथा जब अंकुर अमन को उसके घर सिरोली छोड़ कर वापस आ रहा था तब सेंकी ने अपनी कार सिरोली चिरोड़ी मार्ग पर अंकुर की स्कूटी के आगे लगा दी जिससे अंकुर ने स्कूटी रोक दी मेने व सोनू ने मिलकर अंकुर को कार में डाल दिया, अंकुर की स्कूटी को नहर के किनारे झाडियो में डाल दिया, कार को सेंकी चला रहा था, पीछे की सीट पर मै व सोनू अंकुर को पकड कर बैठे थे, सुनसान जगह जावली के पास नहर के किनारे कार को खडी कर दिया, सोनू व मेने अंकुर को कार से बाहर निकाला तब सेंकी ने अपने पास मौजूद देशी पिस्टल से अंकुर को जान से मारने की नियत से 4-5 राउड फायर किया जो अंकुर के सिर, सीना व हाथ में लगा, अंकुर के मर जाने पर एक प्लास्टिक के कट्टे को कार में बिछाया तथा हम लोगो ने मिलकर अंकुर की बॉडी को कार की पिछली सीट पर रखकर चल दिये वही पर उसी समय सेंकी ने पिस्टल को फेंक दिया था, अंकुर की बॉडी को गढी कलंजरी में हिण्डन नदी पर बने पुल से फेंक दिया था कि किसी को अंकुर का पता न चल सके | वहां से 1-1.5 किमी दूर चलने पर एक नल मिला जहां पर हम लोगो ने हाथ व कपडे पर लगे खून को धुला तथा कार को भी धुला, फिर वहां से जहां पर अंकुर की स्कूटी को झाडियो में गिराये थे, वहां पर आये और उसी स्कूटी को गाँव भगोट थाना चांदीनगर जिला बागपत के बाहर खेत पर बने सरकारी नल के पास ले कर आये उसी स्कूटी का पैट्रोल निकालकर स्कूटी पर छिडककर जला दिये, उसी आग में सोनू ने अपना टी शर्ट जिस पर खून लगा था, जला दिया था रात भर हम लोग इधर उधर घूमते रहे सुबह 04 बजे के आस पास उसी स्कूटी के पास गये थे, तथा जली हुयी स्कूटी को उठाकर करीब 50 मीटर दूर झाडियो में फेंक दिये थे, फिर आकर हम रोज की भांति रहने लगे तथा सेंकी, अंकुर की बॉडी पर नजर रखता था कि कही बॉडी पानी के उपर न आ जाये। मुझे व सोनू को सेंकी ने कहा था कि अँकुर की स्कूटी को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर कही दूर फेंक देना, जली हुयी स्कूटी सोनू व मेने टेक्टर ट्राली में लादकर जावली नाला में फेंक दी थी। मुझे पता चला है कि अँकुर की लाश को पुलिस ने हिण्डन नदी सिटी फोरेस्ट एरिया से बरामद कर लिया है तथा सेंकी को भी पकड़ लिया है। इसलिये मै डर के वजह से इस गाड़ी शिफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर DL-9C-AD-6636 को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली जा रहा था क्योकि इसी गाड़ी से अंकुर का अपहरण व अंकुर के शव को हिंडन नदी पुल से नदी में फेंकने का काम किया गया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर अपहरण कर हत्या कर शव छिपाने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट व मृतक की स्कूटी बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, थाना कविनगर पुलिस व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा थाना कविनगर क्षेत्र में क्रीमवेल कम्पनी के कर्मी से हुई 08.15 लाख रूपये की लूट से संबधित 06 शातिर अपराधी बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार। लूटे गये 6.45 लाख रूपये नगद, नाजायज असलहे व लूट करने मे प्रयुक्त मोटर साईकिलें बरामद

दिनाँक-16/06/2025 को थाना कविनगर पर सिद्धार्थ रस्तौगी अजन्ता कोल्ड इन्डस्ट्रीयल एरिया कविनगर ने थाना कविनगर पर आकर सूचना दी कि उनके स्टाफ अमित कुमार जो फर्म का 8.15 लाख रूपये कोटक महेन्द्रा बैंक राजनगर में जमा करने जा रहा था, रास्ते मे नेहरूनगर फ्लाई ओवर के नीचे तीन अज्ञात मोटर साईकिल सवार बदमाशों ने अमित की आँख मे मिर्च पाऊडर डालकर असलहा दिखाकर 8.15 लाख रूपये व चैक का बैग लूटकर भाग गये। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी।

इसी क्रम में आज दिनाँक-20/06/25 को सिकरोड रोड थाना क्षेत्र कविनगर मे थाना कविनगर व स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियबाद द्वारा उपरोक्त लूट की घटना करने वाले बदमाश सूरज, नितिन व मनीष को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी, जिनके कब्जे से उपरोक्त लूट से सम्बन्धित 4 लाख 30 हजार रूपये नगद, 03 अदद तमंचे 315 बोर मय जिन्दा व खोखा कारतूस तथा मोटर साईकिल आर वन 5 बरामद हुई। दौराने मुठभेड आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में बदमाश सूरज व नितिन पैर मे गोली लगने से घायल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के 02 अन्य साथी मौके से मोटर साईकिल सहित फरार हो गये थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु तत्काल घेरा बन्दी व चैकिंग की गयी तो थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा बुनकर मार्ट के पास दोनो अभियुक्तो ब्रिजेश व अंकुश उर्फ काले को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी जिनके कब्जे से उपरोक्त लूट से सम्बन्धित 01 लाख रूपये नगद, नाजायज असलहे जिन्दा व खोखा कारतूस तथा लूट की घटना करने मे प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष ने गिरफ्तारी के बाद थाने जाते समय रास्ते में एनडीआरएफ ग्राऊण्ड के पास है0का0 की पिस्टल छीन कर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग मे मनीष भी घायल हो गया था। घायलों को वास्ते उपचार सरकारी अस्पताल मे भर्ती कराया गया था।

पूछताछ का विवरण-पूछताछ पर अभियुक्त सूरज यादव ने बताया कि वह ग्रेजुएट है तथा पहले टाटा स्टील फैक्ट्री में तथा उसके बाद रिलाइंस मे नौकरी कर चुका है। पिछले वर्ष 2024 में वह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से हत्या के प्रयास व छेडखानी में जेल जा चुका है जेल से छूटने के बाद इसकी नौकरी छूट जाने के कारण वर्तमान समय मे टैक्सी चलाता है। अभियुक्त मनीष ने पूछने पर बताया कि वह 8वीं तक पढा है तथा पिछले 05 वर्षो से क्रीमवेल आईसक्रीम अजन्ता कोल्ड स्टोर लाल कुआँ मे लोडिंग व अनलोडिंग का काम करता है। अभियुक्त नितिन ने पूछने पर बताया कि वह 12वीं तक पढा है तथा मजदूरी का काम करता है पिछले वर्ष वह जेल गया था जहाँ उसकी मुलाकात सूरज से जेल मे हुई थी तभी से उन दोनो की दोस्ती हो गयी थी। अभियुक्त अंकुश उर्फ काले ने पूछने पर बताया कि वह 10वीं पास है तथा ए0सी0 रिपेयरिंग का काम करता है। अभियुक्त ब्रिजेश ने पूछताछ पर बताया कि वह 8वीं पास है तथा मजदूरी का काम करता है तथा वर्ष 2022 मे थाना कोतवाली गाजियाबाद से शराब तस्करी मे जेल जा चुका है। अभियुक्त अमित ने पूछने पर बताया कि वह पिछले 15 वर्षो से क्रीमवेल आईसक्रीम अजन्ता कोल्ड स्टोर में

ड्राईविंग का काम करता है तथा फर्म के पैसे भी बैंक मे जमा कराने जाता रहता है। इसके अलावा अमित ने लोन पर एक छोटा हाथी तथा आईसर 407 गाडी ले रखी है जिनकी किस्ते जमा नही हो पा रही थी।

अभियुक्तगणों ने बताया कि सूरज यादव ने जेल से छूटने के बाद मनीष से कहा कि मुझे केस लडने के लिए पैसे चाहिए तुम्हारी कम्पनी से कैश जमा होने जाता होगा इस पर मनीष ने कहा कि हमारी कम्पनी से कैश बैंक मे जमा होने के लिए जाता रहता है मेरा चचेरा भाई अमित कैश जमा करने जाता है मैं उससे बात करूँगा। इसके बाद अमित, मनीष और सूरज ने कैश बैक मे जमा होने जाते समय लूटने की योजना बनायी। सूरज ने अपने जेल के साथी नितिन से इस सम्बन्ध मे बात की, नितिन ने अपने दोस्तो ब्रिजेश व अंकुश उर्फ काले को इस काम के लिए तैयार किया। घटना के एक दिन पहले सभी ने मिलकर कैश लूट की योजना बना ली थी कि वारदात को कैसे अंजाम देंगे। दिनाँक-16/06/25 को अमित ने क्रीमवेल अजन्ता कोल्ड स्टोर से 8 लाख 15 हजार रूपये बैंक मे जमा करने के लिए और कैश का बैग लेकर निकलते समय मनीष को इशारा कर दिय़ा कि वह कैश लेकर निकल रहा है, मनीष ने सूरज को फोन करके बता दिया कि अमित कैश लेकर निकल गया। सूरज ने अपने दोस्त नितिन को फोन करके बताया कि अमित कैश लेकर निकल चुका है। लूट करने वालो में ब्रिजेश मोटरसाईकिल चला रहा था अंकुश मिर्च पाऊडर लेकर बीच मे बैठा था तथा नितिन असलहा लेकर पीछे बैठा था। अमित कोल्ड स्टोर से निकलकर पहले अपने घर गया और 1 लाख 15 हजार रूपये अलग निकाल लिए फिर अमित कैश का बैग लेकर नेहरू नगर रोड की तरफ गया पीछ-पीछे ब्रिजेश, अकुश व नितिन भी गये इनसे कुछ दूरी पर सूरज भी दूसरी मोटर साईकिल से पीछे-पीछे चल रहा था। नेहरू नगर फ्लाईओवर नर्सरी के पास जैसे ही अमित के बराबर में मोटर साईकिल आयी अमित ने स्कूटी रोक दी नितिन ने अमित से बैग ले लिया और अंकुश ने उसकी तरफ मिर्च पाऊडर फेक दिया और पैसों का बेग लेकर चले गये। सूरज भी इनके पीछे-पीछे चला गया ग्राम नाहल झाल पर पहुँचकर नितिन, ब्रिजेश व अंकुश ने कैश के बैग से 01 लाख 70 हजार रूपये निकाल लिए तथा बचे हुए सारे पैसे सूरज ने दूसरे बैग में रख लिए और पहला बैग नहर मे फेंक दिया और बताया कि बाकी पैसो का बटवारा बाद मे करेंगे। ये लोग आज पैसो का बटवारा करने आये थे कि गिरफ्तार हो गये। अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर अभियुक्त अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके कब्जे से 1 लाख 15 हजार रूपये बरामद हो गये है। गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल 6 लाख 45 हजार रूपये बरामद हो चुके है। बाकी पैसे सामान खरीदने, उधार चुकाने व मौज मस्ती मे खर्च कर दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.सूरज यादव पुत्र अशोक यादव निवासी मकान नंबर 6 शंकर विहार कॉलोनी मानसरोवर लाल कुआं थाना वेव सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बलवाड़ा थाना बलवाड़ा जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (मुठभेड़ मे घायल)

2.नितिन कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी छोटा मोहल्ला ग्राम खेड़ा थाना पिलखवा जनपद हापुड़ उम्र करीब 20 वर्ष (मुठभेड़ मे घायल)

3.मनीष पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी लाल कुआं थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रसीदाबाद थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 30 वर्ष (मुठभेड़ मे घायल)

4.अंकुश उर्फ काले पुत्र कमल निवासी ग्रा कुसलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष (मुठभेड़ मे घायल)

5.ब्रिजेश पुत्र राजकुमार निवासी छोटा मोहल्ला ग्राम खेडा थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र करीब 28 वर्ष (मुठभेड़ मे घायल)

6.अमित पुत्र रतिराम निवासी म0न0-126 कृष्णा विहार लाल कुआ गाजियाबाद मूल पता ग्राम रशीदाबाद तिवारियन थामा कम्पिल जनपद-फर्रूखाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.नाजायज तमंचा 315 बोर- 5 अदद मय जिन्दा व खोखा कारतूस

2.लूटे गये 6.45 लाख रूपये
3.लूट के पैसों से खरीदा गया मोबाईल वीवो कम्पनी (कीमत 31 हजार रू0)
4.बैंक मे जमा किये गये 26 हजार 400 रू0 की रसीद (लूट के रूपयो से सूरज द्वारा जमा किये गये)
3.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल – 02 अदद

आपराधिक इतिहास:-

1.अभियुक्त सूरज यादव के विरूद्ध गाजियाबाद में 03 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त नितिन के विरूद्ध हापुड मे 01 व गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
3.अभियुक्त मनीष के विरूद्ध गाजियाबाद मे 02 अभियोग पंजीकृत है।
4.अभियुक्त अंकुश उर्फ काले के विरूद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है।
5.अभियुक्त ब्रिजेश के विरूद्ध हापुड मे 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
6.अभियुक्त अमित के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद
2.स्वाट टीम नगर जोन
3.थाना कविनगर पुलिस टीम
4.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला 25000 का इनामी अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध 0.32 बोर की पिस्टल 02 खोखा कारतूस 0.32 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व चोरी की 01 सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 20.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु रावली रोड पर लगातार गस्त व चेकिंग की जा रही थी तभी एक बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर ख़िमावती सुराना लिंक मार्ग की तरफ मुड़ गया जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया व रुकने का इशारा किया गया परंतु वह मोटरसाइकिल को तेजी से मोड कर भागने लगा तभी उसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। जिसे शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें गोली चलाने वाले अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से एक अभियुक्त 1. मोंटी चौधरी पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र निवासी ग्राम मिल्क रावली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 02 खोखा कारतूस 03 जिंदा कारतूस व 01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18.06.2025 को मुरादनगर क्षेत्र में रवि शर्मा की हत्या करके मैं फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मोंटी चौधरी पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र निवासी ग्राम मिल्क रावली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का 01 अभियोग व हत्या का 01 अभियोग थाना मुरादनगर मे पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।